न्यायालय जिला कलक्टर, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी– श्री पुखराज सेन, आई.ए.एस.

निगरानी संख्या– 10/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2024/170

निगरारीकार	बनाम	गैरनिगरानीकार
लालाराम पुत्र स्व. श्री किसनाराम, जाति माली, निवासी मनाना, तहसील मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन।		1. बाबूलाल पुत्र स्व. गणपतलाल, जाति माली, 2. सुरेश पुत्र स्व. तेजाराम, जाति माली, 3. छोटूराम पुत्र स्व. धन्नाराम, जाति माली, निवासीगण मनाना, तहसील मकराना, 4. सचिव ग्राम पंचायत मनाना, तहसील मकराना 5. सरपंच ग्राम पंचायत मनाना, तहसील मकराना

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत मनाना के सरपंच लादूराम द्वारा बाबूलाल पुत्र गणपतलाल निवासी मनाना के पक्ष में निष्पादित आदि भूमि का पट्टा संख्या 28 दिनांक 20.10.2014

उपस्थितः–

1. श्री सुरेन्द्र पुरी वकील निगरानीकार की ओर से।

–: निर्णय :–

दिनांक : 07.04.2025

निगरानीकार की ओर से निगरानी के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है किः–

1. प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 से 03 एक ही परिवार के सदस्य है जिनकी चल व अचल संपति ग्राम पंचायत मनाना की आबादी में स्थित है जिनका सिजरा खनदान निम्नवत हैः–

नानूराम
|
किसनाराम (फौत) — तेजाराम (फौत) — धन्नाराम (फौत)
|
गणपतराम (फौत), लालाराम (किसनाराम) — सुरेश (तेजाराम) — छोटूराम (धन्नाराम)
|
ग्यारसी, बाबूलाल, भंवरी, कालीदेवी (गणपतराम)

2. नानूराम माली मौजा मनाना के स्थाई निवासी थे जिनकी ग्राम मनाना के आबादी इलाका में जायदाद आई हुई थी उनके तीन पुत्र किसनाराम, तेजाराम, धन्नाराम थे ग्राम पंचायत मनाना द्वारा पट्टा संख्या 24 मिसल संख्या 9/66-67 दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.05.02 12:12:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

24.03.1962 ई. को पट्टा किसनाराम, तेजाराम व धन्नाराम के नाम से बना हुआ था पट्टे की प्रतिलिपि पेश है, जिसका नजरिया नक्शा निगरानी के साथ अलग से पेश है।

3. किसनाराम, तेजाराम धन्नाराम के नाम से ग्राम पंचायत मनाना से आबादी भूमि का पट्टा दिनांक 24.03.1962 को बना हुआ था जिस पर तीनों भाईयों के वारिसानों ने अपने–अपने अलग–अलग बंट कर लिया था जिस पर अलग–अलग कब्जा स्वामित्व बिना किसी अवरोध के चला आ रहा है।
4. प्रार्थी लालाराम के सगे भाई गणपतलाल के व प्रार्थी के मध्य उनको पुश्तैनी में मिली पट्टा सुदा जायदाद बंट करके कब्जा कर लिया था जिसमें नजरिया नक्शा अनुसार कब्जा स्वामित्व चला आ रहा था मुख्य सड़क पर पट्टाधारी तीनों वारिसानों ने अलग–अलग बंट कर लिया एवं जो पट्टा सुदा जायदाद के पीछे जगह जो पट्टा सुदा का ही भाग है उसका भी तीनों ने बंटवारा कर लिया स्व. किसनाराम के वारिसान की यानि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 की शामलाती थीजिसमें भी दो बंट प्रार्थी व अप्रार्थी का हक व हिस्सा है।
5. उपर वर्णित जायदाद शामलाती पट्टा सुदा पुश्तैनी आई हुई है जिसका पट्टा ग्राम पंचायत मनाना द्वारा किसनाराम, तेजाराम व धन्नाराम के नाम बना हुआ है उक्त पट्टा सुदा जायदाद का पुनः एक भाग का पट्टा अप्रार्थी बाबूलाल पुत्र स्व. गणपतलाल ने ग्राम पंचायत मनाना द्वारा पट्टा संख्या 28 दिनांक 20.10.2014 को गलत रूप से अप्रार्थी संख्या 01 बाबूलाल ने बना लिया जिसकी जानकारी होते ही प्रार्थी ने पट्टा की प्रतिलिपि प्राप्त होने पर यह निगरानी पेश की जा रही है जिसके आधार निम्न वर्णित है :–
    1. मौजा मनाना के आबादी इलाका में जिनका पट्टा किसनाराम, धन्नाराम, तेजाराम के नाम से दिनांक 14.03.1962 को बना हुआ था जिस पर तीनों वारिसानों का बंट होकर कब्जा निर्बाध रूप से चला आ रहा है। लेकिन स्व. गणपतलाल के वारिसानों की जायदाद का पिछे जो बाड़ा था जो पूर्व में बने पट्टा सुदा जायदाद का भाग है उसका बंट दोनों भाईयों का शामलाती था लेकिन अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थी को बिना बताए स्वयं अकेले के नाम गलत पट्टा ग्राम पंचायत मनाना से जारी करवा लिया है जो प्रारम्भ से ही शुन्य होने से पट्टा निरस्त होने योग्य है।
    2. जिस जायदाद का पट्टा ग्राम पंचायत मनाना द्वारा पट्टा संख्या 08 दिनांक 24.03.1962 को बना हुआ है उसी पट्टा सुदा जायदाद का पुनः ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा संख्या 28 दिनांक 20.10.2014 को जारी करवा लेना गलत है, कानूनी रूप से विधि विरूद्ध होने के कारण अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा पट्टा जारी करवाना गलत होने से शून्य है पट्टा निरस्त होने योग्य हैं।
    3. अप्रार्थी संख्या 01 बाबूलाल ने पट्टा गलत रूप से बनवा लिया है उस स्थान का पट्टा बनाने का आवेदन पत्र ग्राम पंचायत मनाना से किया उस स्थान का पट्टा पूर्व में बना हुआ है इसलिए उसका पट्टा जारी करना गलत है इसलिए बाबूलाल द्वारा जारी पट्टा निरस्त होने योग्य है।
    4. बाबूलाल ने जिस भाग का पट्टा बनाने का आवेदन किया है वो भाग स्व. गणपतलाल के वारिसानों की जायदाद है लेकिन प्रार्थी बाबूलाल व प्रार्थी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.05.02 12:42:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

शामलाती है लेकिन प्रार्थी को बिना बताए बिना प्रार्थी की सहमति लिए पट्टा तथ्य छुपाकर बाले–बाले जारी करवा लिया प्रार्थी का पुश्तैनी में मिली जायदाद को हड़प करने के लिए पट्टा बनवा लिया है जो पट्टा निरस्त होने योग्य है।

5. पट्टा सुदा जायदाद स्व. गणपतलाल को उनके पुश्तैनी हक अधिकारों में मिली है उनकी मृत्यु के बाद उनके तमाम वारिसानों की कानूनी रूप से जायदाद होती है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 का हक व अधिकार है उसके बावजूद भी एक मात्र अप्रार्थी संख्या 01 के नाम पट्टा जारी होना गलत है पट्टा सुदा जायदाद पर प्रार्थी का कब्जा स्वामित्व है बंटवारा नहीं हो रखा है इसलिए बिना कब्जा के एवं बिना विधिवत बंटवारा हुए अप्रार्थी संख्या 01 बाबूलाल ने जो पट्टा बनवाया है वह पट्टा अवैध शुन्य होने से निरस्त होने योग्य है।
6. ग्राम पंचायत के लिए आवश्यक है कि ग्राम पंचायत सामान्य नियम 1964 कि नियम 255 से 65 की पालना की जानी है परन्तु उन आज्ञापक नियमों की पालना नहीं की गई है इसलिए उक्त पट्टा व पट्टे का प्रस्ताव निरस्त किये जाने योग्य है।
7. किसी भी भूमि का पट्टा आवेदन करने के बाद आपत्तियाँ आमंत्रित करने हेतु नोटिस जारी करना आवश्यक होता है जिसकी नियम 269 (2) के अनुसार भूमि के किसी विशिष्ठ स्थान पर चस्पा करना चाहिए वास्तव में ऐसा कोई नोटिस चस्पा नहीं किया है। यदि नोटिस चस्पा किया जाता तो प्रार्थी द्वारा आपत्ति आवश्यक प्रस्तुत करता पट्टे सुदा जायदाद का एक मात्र मालिक बाबूलाल ही नहीं है पट्टा जारी करने से पहले समस्त विधिवत् नियमों की पालना नहीं की है इसलिए उक्त पट्टा निरस्त होने योग्य है।
8. पट्टा सुदा जायदाद का एक मात्र मालिक अप्रार्थी संख्या 01 ही नहीं है मौके पर जाकर कोई मौका नहीं देखा गया था बिना मौका देखे बिना विधित बंटवारा हुए पट्टा जारी करना गलत है एवं जो जारी किया गया पट्टा अवैध एवं शून्य होने से निरस्त होने योग्य है।
9. पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन से प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में कोई प्लान नहीं बनाया है एवं आवेदन शुल्क ना ही ली है ग्राम पंचायत द्वारा प्रपत्र 49 में एन्ट्री नहीं की इस सम्बन्ध में कोई पत्रावली भी नहीं खोली गई एवं ना ही ग्राम पंचायत द्वारा कोई मौका निरीक्षण कराया गया इसलिए पट्टा निरस्त होने योग्य है।
10. निगरानी हेतु विधि के अन्तर्गत कोई परिसीमा निर्धारित नहीं है परन्तु उपरोक्त कारणों से जानकारी के अभाव में निगरानी प्रस्तुत नहीं की जा सकी प्रार्थी को दिनांक 11.10.2021 को अप्रार्थी द्वारा बिना बंटवारा हुए जामीन पर कब्जा करने लगा तब प्रार्थी को अप्रार्थी ने पट्टे की प्रतिलिपि दी तब प्रार्थी के पैरों तले जमीन खिसक गई एवं जानकारी होते ही उक्त निगरानी पेश की जा रही है जिसे दर्ज किया जाकर सुना जावे।

अतः माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी मय शपथ पत्र प्रस्तुत करके निवेदन है कि निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत मनाना द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.05.02 12:12:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला-कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

पट्टा संख्या 28 दिनांक 20.10.2014 बाबूलाल के नाम से बनाया गया है उसे निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज कर गैर निगरानीकार को जरिये सम्मन तलब किया गया। गैर निगरानीकार बावजुद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस एक पक्षीय सुनी गई। वकीन निगरानीकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि जिस जायदाद का पट्टा ग्राम पंचायत मनाना द्वारा जारी किया गया है उस स्थान का पटटा पूर्व में बना हुआ है। इसलिए बाबुलाल द्वारा जारी किया गया पट्टा निरस्त होने योग्य है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। ग्राम पंचायत मनाना द्वारा पट्टा सं0 24 मिसल संख्या 9/66–67 दिनांक 24.03.1962 को किसनाराम, तेजाराम व धन्नाराम के नाम से जारी हुआ तथा उक्त पट्टा सुदा जायदाद का पुनः एक भाग का पट्टा बाबुलाल पुत्र स्व0 गणपतलाल का ग्राम पंचायत मनाना द्वारा पट्टा संख्या 28 दिनांक 20.10.2024 को जारी किया गया। ग्राम पंचायत प्रकरण कि जांच करे कि एक ही जगह के दो पट्टे जारी हुए हैं अथवा अलग–अलग जगह के जारी किये गये है। अतः निगरानीकार की निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत मनाना द्वारा श्री बाबुलाल के नाम से जारी पट्टा संख्या 28 दिनांक 20.10.2014 को निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारों को सुनकर विधिसम्मत पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 07.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज सेन, IAS)
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.05.02 12:12:52 IST
Reason: SelfAttested